

To be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Part-II, Section -3 (iii), Dated 3rd March, 2015

To be republished in an Extraordinary issue of the
official Gazette of the State dated 3rd March, 2015

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001.

Dated : 3rd March, 2015
Phalgun 12, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-UT/3/2015 (2):- In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Uttarakhand, hereby-

- I. designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- II. appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the two bye-elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 3rd March, 2015:-

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly	Shri Madan Singh Kunjwal Joint Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly.

By order


(K. AJAYA KUMAR)

Principal Secretary to the
Election Commission of India

भारत के राजपत्र भाग-(ii) खण्ड-3(iii) के अन्वयानुसार
अंक नं. 1936/3 मार्च, 2015 का प्रकाशनानुसार
राज्य के शासकीय राजपत्र के अन्वयानुसार
अंक नं. 3 मार्च, 2015 का प्रकाशनानुसार

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 3 मार्च, 2015

फाल्गुन 12, 1936(शक)

अधिसूचना

सं० 100/रा.स.-उत्तराखण्ड/3/2015 (2) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 3 मार्च, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य में राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन के संबंध में -

- (I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, और
- (II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
सचिव उत्तराखण्ड विधान सभा	श्री मदन सिंह कुजवाल संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड विधान सभा

आदेश से,

(कै० अजय कुमार)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग